

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(नियम शाखा)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक: एफ 2-2/2025/1-3,

नवा रायपुर, दिनांक 22/07/2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़.

विषय:- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2025.

---:---

विषयांतर्गत संदर्भित अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2025 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में, उप-नियम (5) के खण्ड (1) में उप खण्ड (च) जोड़ा गया है। उक्त संशोधन में शेयर (Share), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) व म्युचुअल फण्ड्स (Mutual Funds) को जंगम (चल) संपत्ति में शामिल किया गया है।

2/ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 (2-क)(3) के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक, जंगम सम्पत्ति (Movable Property) के संबंध में उसके द्वारा या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से अपने आपको आबद्ध किये गये प्रत्येक लेन-देन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को करेगा, यदि संपत्ति का मूल्य 02 माह के मूल वेतन से अधिक है।

3/ निर्णय लिया गया है कि यदि कोई शासकीय सेवक स्वयं या कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से, एक कैलेंडर वर्ष के दौरान शेयर (Share), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) व म्युचुअल फण्ड्स (Mutual Funds) या अन्य निवेश में कुल लेन-देन 06 माह के मूल वेतन से अधिक करता है, तो विहित प्राधिकारी को संलग्न प्रोफार्मा में सूचना देना अनिवार्य होगा।

4/ स्पष्ट किया जाता है कि शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार-बार खरीदी-बिक्री (Intra day, BTST, Future and option (F&O)) को आचरण नियम का उल्लंघन माना जाएगा तथा संबंधित शासकीय सेवक छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

5/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(रजत कुमार)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 2-2/2025/1-3,

नवा रायपुर, दिनांक 22 /07/2025

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
 2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
 3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पार्ट रायपुर।
 4. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
 5. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मान.मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़,।
 6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
 7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, गांधी चौक, रायपुर।
 8. सचिव, छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग, रायपुर।
 9. सचिव, सूचना आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर।
 10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
 11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
 12. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर।
 13. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, मान. उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
 14. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण शाखा) मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों को वितरण हेतु।
 15. संचालक, जनसम्पर्क, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
 16. अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Proforma for intimation of total transactions in any stock, share or other investments etc. under Rules 19(5)(1)(f) of C.G. (Conduct) Rules, 1965

1. Name of the officer:
- a. Designation:
- b. Service to which belongs and Cadre:
- c. Employee ID /Code No:
2. Scale of pay and present Pay:
3. Details of each transaction made in share, securities, debentures, or other investments etc. during the calendar year (Attach separate sheet, if required)
.....
.....
4. Particular of the party/firm with whom transaction(s) is made:-
 - (a) is party related to the applicant?
 - (b) Did the applicant have any dealings with the party in his/her official capacity at any time or is the applicant likely to have any dealings with him in the near future
.....
5. Source(s) from which financed:-
 - (a) If personal savings, details thereof
 - (b) If other source, details thereof
6. Any other relevant fact which applicant may like to mention.

Declaration

I hereby declare that the particulars given above are true.

Place:

Date:

Signature

Designation

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 516]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 जून 2025 — आषाढ़ 9, शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 जून 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-2/2025/1/3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 19 में, उप-नियम (5) के खण्ड (1) के उप खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् —

(च) शेयर (Share), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फण्ड्स (Mutual Funds) में निवेश

स्पष्टीकरण.— शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार-बार खरीद एवं बिक्री (Intra day, BTST, Future and option (F&O) व cryptocurrency में ट्रेडिंग/निवेश) को इस उप-खण्ड के अंतर्गत अवचार के रूप में माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 जून 2025

क्रमांक एफ 2-2/2025/1/3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-2/2025/1/3, दिनांक 30 जून, 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 30th June 2025

NOTIFICATION

No. F 2-2/2025 /1-3.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After sub-rule (e) of clause (1) of sub-rule(5) of rule 19, the following sub-clause shall be added, namely :-

"(f) Investments in shares, securities, debentures and mutual funds.

Explanation.-Frequent buying and selling of shares, securities or other investments (trading/investment in Intra day, BTST, Future and option (F&O) and cryptocurrency) shall be treated as misconduct under this sub-clause."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJAT KUMAR, Secretary.